



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125178

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 14219 वर्ष 2026

वंदना पांडेय

.....आवेदिका

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदिका के अधिवक्ता : रघुवंश मिश्रा

विपक्षी के अधिवक्ता : अशोक कुमार यादव, शासकीय अधिवक्ता, यशवर्धन यादव

न्यायालय संख्या - 4

माननीय अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता श्री रघुवंश मिश्रा के प्रधारी (होल्डिंग ब्रीफ) अधिवक्ता श्री अश्वनी त्रिपाठी, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री यशवर्धन यादव के प्रधारी (होल्डिंग ब्रीफ) अधिवक्ता श्री राधेश्याम यादव तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रोशन कुमार सिंह को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदिका को मुकदमा अपराध संख्या 07 वर्ष 2026, धारा 103(1), 238(ए), 140(1), 191(2), 191(3), 190, 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023, थाना सजेती, जिला कानपुर नगर के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि आवेदिका को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं किया गया था; एक अभियुक्त के रूप में उसका नाम सह-अभियुक्त सुमित गुप्ता उर्फ दीपांकर के संस्वीकृति बयान में प्रकाश में आया, जिसमें उसने यह आरोप लगाया है कि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सह-अभियुक्त अजय पांडेय ने मृतक पर गोली चलाई थी। तत्पश्चात, सह-अभियुक्त अजय पांडेय को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर एक देशी तमंचा भी बरामद किया गया, और आवेदिका को वर्तमान मामले में केवल सह-अभियुक्त अजय पांडेय की पत्नी होने के कारण झूठा फंसाया गया है, यद्यपि आवेदिका की निशानदेही पर किसी हथियार की कोई बरामदगी नहीं हुई है या उसके विरुद्ध कोई अन्य दोषमढ़ने वाली सामग्री (साक्ष्य) नहीं है।

4. आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है; इसलिए, हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और, एक महिला होने के नाते, वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480 के द्वितीय परंतुक के दृष्टिगत जमानत पर रिहा होने की हकदार है। आवेदिका एक कानून का पालन करने वाली नागरिक है और वह दिनांक 24.02.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगी।
5. इसके विपरीत, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया लेकिन वे उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।
6. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदिका एक महिला है तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी संख्या में लंबित होने के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जो **2025** एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. **3038** में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में निर्णय के आदेशात्मक निर्देश और साथ ही जमानत प्रदान करने के संबंध में माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, **2024** एस.सी.सी. ऑनलाइन ऑल **6765** में इस न्यायालय के दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदिका जमानत पर रिहा होने की हकदार है। तदनुसार, वर्तमान प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदिका- वंदना पांडेय को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र (मुचलका) और उसी धनराशि की दो प्रतिभूतियां (जमानतें) प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - i. आवेदिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे, तथा वह साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी।
 - ii. आवेदिका बिना कोई स्थगन मांगे विचारण/अन्वेषण में ईमानदारी से सहयोग करेगी।
 - iii. आवेदिका जमानत पर रिहा होने के उपरांत किसी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध को करने में संलिप्त नहीं होगी।
 - iv. आवेदिका अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगी।
8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का एक आधार होगा।
9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदिका और प्रतिभूतियों (जमानतदारों) की पहचान, हैसियत और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।
10. संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदिका और प्रतिभूतियों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन भी किया जाना चाहिए।
11. यह आगे निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदिका की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन रे: सूओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या 4 वर्ष 2021 निर्णीत 31.01.2023 जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में रिपोर्ट किया गया है, के साथ-साथ पीला पाहन उर्फ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या 169 वर्ष 2025, निर्णीत 29.05.2026 के मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से कानपुर देहात के जेल अधीक्षक के जरिए आवेदिका को और ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

4 जून, 2026

एस.ए.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।